

पत्रांक-01/मा0शि0/स्था0'ख'-68/2024.....1498

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(माध्यमिक शिक्षा कार्यालय)

प्रेषक,

धर्मेन्द्र कुमार, मा0प्र0से0
विशेष सचिव।

सेवामें,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

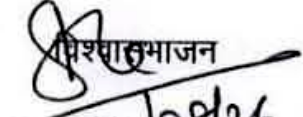
विषय:-

सरकारी विद्यालयों में शनिवार को 'हाफ डे' तक विद्यालय संचालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक-1409, दिनांक-06.08.2026 के द्वारा, राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शनिवार को 'हाफ डे' तक विद्यालय संचालन का निदेश दिया गया है, जिसका अनुपालन आपके द्वारा किया जा रहा है। कतिपय स्रोतों से यह ज्ञात हुआ है कि कुछ जिलों में बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के इससे इतर भी आदेश निर्गत किये गये हैं।

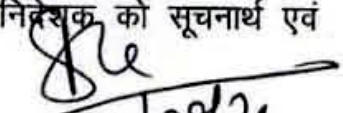
उक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि बिना विभागीय अनुमति के विद्यालय संचालन के संबंध में अपने स्तर से कोई भी पृथक आदेश/निर्देश निर्गत नहीं किया जाय। इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दिया जायेगा।


14/08/26
(धर्मेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक:-01/मा0शि0/स्था0'ख'-68/2024.....1498

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक 14/8/2026


14/08/26
विशेष सचिव

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(माध्यमिक शिक्षा कार्यालय)
आदेश

दिनांक:-...06/08...../2026

संचिका संख्या:-01/मा0शि0/स्था0'ख'-68/2024/1409 विभागीय आदेश
ज्ञापांक-2331, दिनांक-12.12.2025 द्वारा सरकारी विद्यालयों के लिए, समय-सारणी निर्गत
कर विद्यालय के संचालन की अवधि, सोमवार से शनिवार तक के लिए 9:30 बजे पूर्वाह्न से
04:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित की गयी थी; में आंशिक संशोधन करते हुए सरकारी
विद्यालयों के संचालन की अवधि, सोमवार से शुक्रवार तक के लिए, 9:30 बजे पूर्वाह्न से
04:00 बजे अपराह्न तक तथा शनिवार को हाफ डे, 9:30 बजे पूर्वाह्न से 1:00 बजे अपराह्न
तक निर्धारित किया जाता है।

शनिवार को वर्ग 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं के लिए, पूर्व निर्धारित गतिविधि
उक्त समयावधि के अन्तर्गत संचालित की जायेगी। 12:00 बजे मध्याह्न तक ही कक्षा एवं
गतिविधि संचालित की जायेगी। मध्यान्तर में 12:00 बजे मध्याह्न से 12:40 बजे अपराह्न
तक, मध्याह्न भोजन के उपरान्त छात्र-छात्राओं को छुट्टी दे दी जायेगी।

शनिवार को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 01:00 बजे अपराह्न तक ही
अध्यापन कार्य एवं शनिवार को पूर्व निर्धारित अन्य गतिविधि संचालित की जायेगी, तत्पश्चात्
छात्र-छात्राओं को छुट्टी दे दी जायेगी। प्रतिदिन कक्षा अवधि के क्रम में 01 घंटा
शिक्षक/शिक्षिका द्वारा अगले दिन एवं सप्ताह के लिए पाठ्य योजना, मूल्यांकन कार्य,
शिक्षक डायरी अद्यतन, छात्रों के गृह कार्य की जाँच, प्रयोगशाला प्रबंधन आदि कार्य करेंगे।
उक्त कार्य/Remedial Classes के पश्चात् ही विद्यालय से प्रस्थान करेंगे।

शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(सज्जन आर0)

निदेशक (मा0शि0)

ज्ञापांक:- 01/मा0शि0/स्था0'ख'-68/2024/1409..... पटना, दिनांक-06/08/2026
प्रतिलिपि:-माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विकास
आयुक्त, बिहार/सचिव के आप्त सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय
आयुक्त/सभी निदेशक/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप
निदेशक/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/सचिव, संस्कृत शिक्षा
बोर्ड/सचिव, मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/सभी
राजकीय/राजकीयकृत प्रारंभिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (मा0शि0)